अदालत में गवाह

CJS

अपराधिक न्याय प्रणाली

अगर आपसे किसी मुकद्दमें में या किसी अदालत की सुनवाई में एक गवाह होने को कहा जाए, तो आप कोई न्याय दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

सत्य बताने के लिए एक पवित्र वादा करके और अदालत में अपनी गवाही दे कर, आप मैजिस्ट्रेटों को यह समझने के लिए सम्भव कर देते हैं, कि वास्तव में क्या हुआ।

अदालत व्दारा किसी को भी अपराध का दोषी या निर्दोषी पाये जा सकने से पहले, उन्हें सुनवाई की और गवाही पर विचार करने की ज़रूरत होती है – और गवाह वह व्यक्ति होते हैं जो कि सबूतों को प्रदान करते हैं।

आपके समय और प्रयासों के लिए आपका धन्यवाद।

01 गवाह होने का क्या मतलब होता है?

आपको गवाह बनाने के लिए क्यों पूछा जायेगा?

आपसे गवाह बनाने के लिए तब पूछा जा सकता है, अगर आप:

- किसी विशेष अपराध, घटना या झगड़े के बारे में कुछ जानते हैं, उदाहरण के लिए, क्योंकि आपने उसे होते हुए देखा है;
- आपके पास किसी ऐसे विषय के बारे में विशेष ज्ञान हो, जो कि किसी मुकद्दमें के तथ्यों का निर्णय करने में उपयोगी हो सकते हैं (उस स्थिती में तब आप एक विशेषज्ञ गवाह होंगे); या
- आप इस केस में शामिल किसी व्यक्ति को जानते हैं (उस स्थिती में आप एक कैरेक्टर गवाह होंगे)। तब आपसे इस बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पूछा जायेगा, उदाहरण के लिए, कि आप कितनी अच्छी प्रकार से व्यक्ति को जानते हैं और क्या वह व्यक्ति विश्वास के योग्य है या की नही।

गवाह होना कैसा होता है।

हो सकता है कि आपको यह पता न हो कि अगर आपको एक गवाह के रुप में पुकारा जाए तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं - या आप इसे उस स्थिती से बहुत भिन्न पा सकते हैं, जिसकी की आपने अपेक्षा कर रखी थी।

यह पत्रक आपकी यह तैयारी करने में सहायता करेगा कि वहाँ क्या होगा।
यह बताता है:

- एक गवाह होने पर आप कहाँ पर अधिक सहायता और सलाह प्राप्त कर सकते हैं;
- आप कहाँ पर अपनी गवाही देंगे - विभिन्न प्रकार की अदालतें;
- अदालत के कमरे में कौन क्या होता है और कुछ कानूनी भाषा का क्या मतलब होता है;
- आपके अदालत में जाने से पहले क्या होता है;

- जब आप अदालत में होते हैं तो क्या होता है; और
- जब आप अपनी गवाही दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है

याद रखें : **अगर आपने कोई टिप्पणी दे दी है और तब आपसे अदालत में गवाही देने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको ऐसा ज़रुर करना चाहिए।**

अगर अदालत जाने के बारे में अपको कोई कठिनाई या चिंता है, तो यह बात जितना जल्दी सम्भव हो सके, उतनी जल्दी उस व्यक्ति को बता दें, जिसने कि आपसे अदालत में जाने के लिए पूछा था। अगर आपको अदालत में जाना है, लेकिन अदालत यह नहीं सोचती है कि यह व्यक्ति अपनी ईच्छा से वहाँ जायेगा, तो वह आपके विरुद्ध एक गवाह का समन जारी कर सकते हैं। अगर आप अब भी बिना किसी अच्छे कारण के अदालत में नहीं जा पाते हैं, तो अदालत आपको 'अदालत की अवहेलना' का दोषी पा सकती है, और आपकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है।

02 गवाही देने के बारे में सहायता और सूचना आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?

अदालत में गवाही देने के बारे में, व्यक्तियों द्वारा बेचैनी को महसूस करना कोई अनोखी बात नही है। शायद आपको इस बात का विश्वास नही होता है कि अगर आप जो कहेंगे, या आप इसे कैसे कहेंगे, वह सुनिश्चित करने के लिए सहायता करेगा कि नही, कि न्याय हो गया है।

वह व्यक्ति जो कि अपराधिक न्याय प्रणाली में कार्य करते हैं वह यह बात जानते हैं कि यह अनुभव आपके लिए नया या विचित्र हो सकता है, और वह जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक यह प्रयास करते हैं कि आपके साथ आदर और संवेदनशीलता का व्यवहार किया जाए।

(विटनेस सर्विस) The Witness Service

आप अदालत में जाने से पहले विटनेस सर्विस के किसी प्रशिक्षित वॉलिन्टियर से बात कर सकते हैं, और अदालत में आपकी सहायता करने के लिए वॉलिन्टियर वहाँ पर होगा। वह सबूतों के बारे में या कानूनी सलाह के बारे में बातचीत नही कर सकते हैं, लेकिन वह एक मित्रता वाला चेहरा होगा जो कि आपको अदालत के चारों तरफ घूमायेगा और आगे क्या होगा इस बारे में बतायेगा।

इंग्लैंड और वेल्स के प्रत्येक अपराधिक अदालत में एक विटनेस सर्विस है। यह सर्विस एक स्वतंत्र राष्ट्रिय चैरिटी, विक्टिम सपोर्ट के द्वारा चलाई जाती है, और यह पीड़ितों और गवाहों (दोनों अभियोजन और प्रतिवादी पक्षों), और उनके परिवारों और मित्रों की मुकद्दमें से पहले, दौरान और बाद में सहायता करती है। विटनेस सर्विस गवाहों को, अदालत में सुनवाई होने से पहले अपनी सेवायें प्रदान करती है।

प्रशिक्षित वॉलिन्टियर मुफ्त और गोपनिय सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें कि यह शामिल है:

- अदालत की कार्यवाहियों के बारे में आम सूचना;
- सुनवाई से पहले, दौरान और बाद में निजी सहारा;
- अगर आप गवाही देने जा रहे हैं तो आपके साथ अदालत के कमरे में कोई जाए; और
- गवाही देने से पहले आप अदालत में घूम कर आयें, ताकि आपको वहाँ पर विचित्र न लगे।

आप उनके बारे में विवरण फोन पुस्तिका में अदालत के नाम के नीचे प्राप्त कर सकते हैं।

या आप विक्टिम सपोर्ट लाईन से इस नम्बर 0845 30 30 900 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

अधिक सूचना

क्राउन कोर्ट के लिए एक चार्टर बना हुआ है जिसे 'अदालत उपभोगताओं के लिए चार्टर' कहा जाता है, जो कि उन महत्वपूर्ण माप-दंड़ों को बताता है, जिनकी कि आप तब अपेक्षा कर सकते हैं, जब आप अदालत में आते हैं। आप कोर्ट सर्विस हैडक्वार्टर से इस नम्बर 020 7210 2269 पर फोन करके इसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मैजिस्ट्रेटों की अदालतों के अपने चार्टर होते हैं, जिनको कि आप अदालत से प्राप्त कर सकते हैं।

आप इस पत्रक को बंगाली, अरबी, कैंटोनीज, गुजराती, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, सोमाली, वियतनामी ग्रीक, और टर्किश, भाषा में भी प्राप्त कर सकते हें।

आप इस पत्रक को बडे शब्दों, ब्रेल या सुने जा सकने वाले ऑडियोटेप में भी प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अपने स्थानिय पुलिस स्टेशन या विटनेस सर्विस के ऑफिस से सम्पर्क करें।

अपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में आम सूचना (पुलिस, अदालतें और क्राउन प्रासीक्यूशन सर्विस) और एक गवाह होने के बारे में और अधिक सूचना आप यहाँ से www.cjsonline.org प्राप्त कर सकते हैं।

यू के ऑन लाईन सारे यू के में 6,000 से अधिक केंद्रों में इंटरनेट तक जाने के लिए बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम कीमत पर सेवा प्रदान करती है। अपने नजदीकी केंद्र को जानने के लिए इस नम्बर 0800 77 1234 पर बात करें।

03 आप अपनी गवाही कहाँ पर देंगे?

तीन प्रकार की अदालतें होती हैं, जहाँ पर आपको गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है।

- **मैजिस्ट्रेट की अदालत**
- **क्राउन कोर्ट**
- **यूथ कोर्ट**

जो व्यक्ति या संस्था जो कि आपको यह बताने के बारे में लिखती है कि आपको गवाह के रुप में कब और कहाँ जाने की ज़रुरत है, वह उसमें यह विवरण भी शामिल करेंगे कि किस प्रकार की अदालत में आपके केस को सुना जायेगा।

मैजिस्ट्रेट की अदालत

ज्यादातर अपराधिक मामले जो कि अदालत में आते हैं, उनको मुकद्दमां मैजिस्ट्रेट की अदालत में लड़ा जाता है।

मैजिस्ट्रेट सभी सबूतों को सुनता है – जिसमें कि वह टिप्पणियां भी शामिल होती हैं, जिन्हें कि आप या कोई भी अन्य गवाह देते हैं – और इस बात का निर्णय लेता है कि क्या दोषारोपित व्यक्ति (प्रतिवादी) अपराध का दोषी है या नही। अगर प्रतिवादी दोषी पाया जाता है या वह स्वीकार लेता / लेती है कि वह दोषी है, तो आमतौर पर मैजिस्ट्रेट सजा का निर्णय करता है।

मैजिस्ट्रेट तीन स्थानिय व्यक्ति भी हो सकते हैं (जिनको कि कभी-कभी शांती के दूत या जे पी भी कहा जाता है), जिनको कि प्रशिक्षित कानूनी सलाहकारों की सहमती होती है, या केवल एक मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है (जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है और वह वकील होता है)। मैजिस्ट्रेट की अदालत में कोई भी सफेद विग नही पहनता है, जैसे कि आमतौर पर फिल्मों या टी वी पर जज या वकीलों को पहने दिखाया जाता है, केवल अशर्ज़ (परिचय करवाने वाले) काले गाउन पहनते हैं।

वहाँ एक वकील (या वकीलों की एक टीम) होगी, जो कि अभियोजन के लिए बोलेगी। अधिकतर मामलों में, दूसरा वकील (या वकीलों की एक टीम) प्रतिवादी के लिए बोलती है – उसे भी 'दोषी' के रुप में जाना जाता है।

यह पिक्चर एक आम मैजिस्ट्रेट की अदालत को दिखाता है। मैजिस्ट्रेट एक ऊंची उठी हुई बैंच के पीछे बैठता है और गवाहों का कटघरा आमतौर पर अदालत के सामने एक तरफ को होता है।

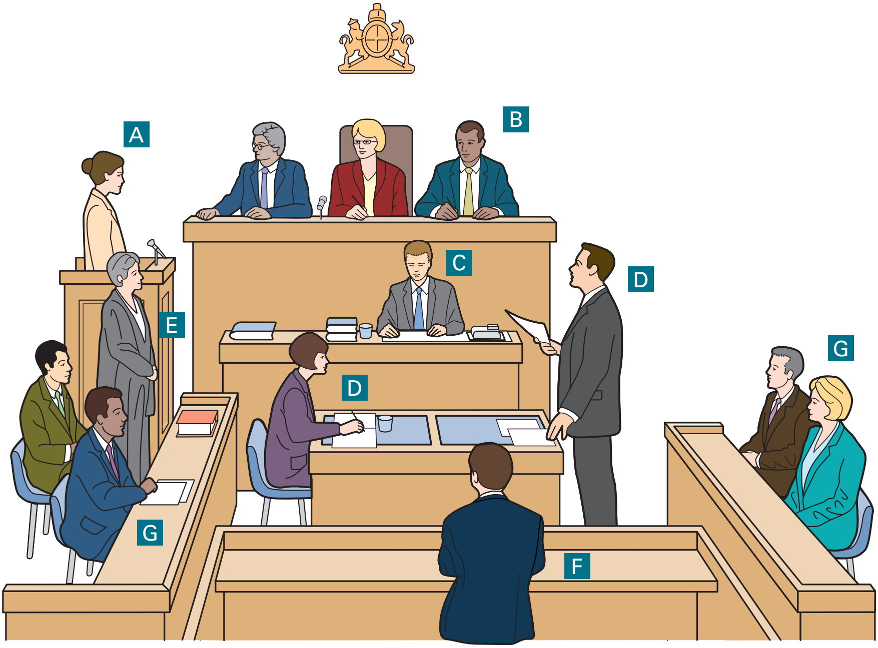

मुख्य: A गवाह B मैजिस्ट्रेट C कोर्ट का कलर्क या बाबू
D अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील
E अदालत के भेंट कराने वाले F प्रतिवादीपक्ष G अन्य

क्राउन कोर्ट

क्राउन कोर्ट में जूरी और जजों के सामने आने वाले मुक्दमें, आमतौर पर केवल बहुत गम्भीर अपराधों के लिए होते हैं, या जहाँ पर प्रतिवादी ने अपने केस को जूरी द्धारा करवाने के लिए पूछा हो। मैजिस्ट्रेट किसी केस को क्राउन कोर्ट में तब भेज सकता है, जहाँ पर वह समझते हैं कि अगर प्रतिवादी दोषी पाया जाता है, तो उनके पास उस अपराध की उतनी गम्भीर सज़ा देने का अधिकार नही है जितनी कि उस अपराध के लिए मिलनी चाहिए।

सभी सबूतों को सुनने के बाद, जूरी जज को बताती है कि उन्होंने प्रतिवादी को 'दोषी' या 'निर्दोष' पाया है।

जज कानून के मामलों पर निर्णय लेता है। अगर प्रतिवादी दोषी पाया जाता है या वह स्वीकार कर लेता/लेती है कि वह दोषी है, तो उस मामले में भी सजा का निर्णय लेता है।

कोर्ट में , एक वकील (या वकीलों की एक टीम) होगी जो कि अभियोजन के लिए बोलेंगे, और एक अलग वकील (या टीम) होगी जो कि प्रतिवादी के लिए लेंगे।

यह चित्र एक क्राउन कोर्ट का एक आम अदालत के कमरे का है। जज और कुछ वकील विग और गाउन पहनते हैं। अदालत का कलर्क भी गाउन पहनता है, और कुछ अदालतों में विग भी। वहाँ पर जूरी के बैठने के लिए भी एक जगह होती है।

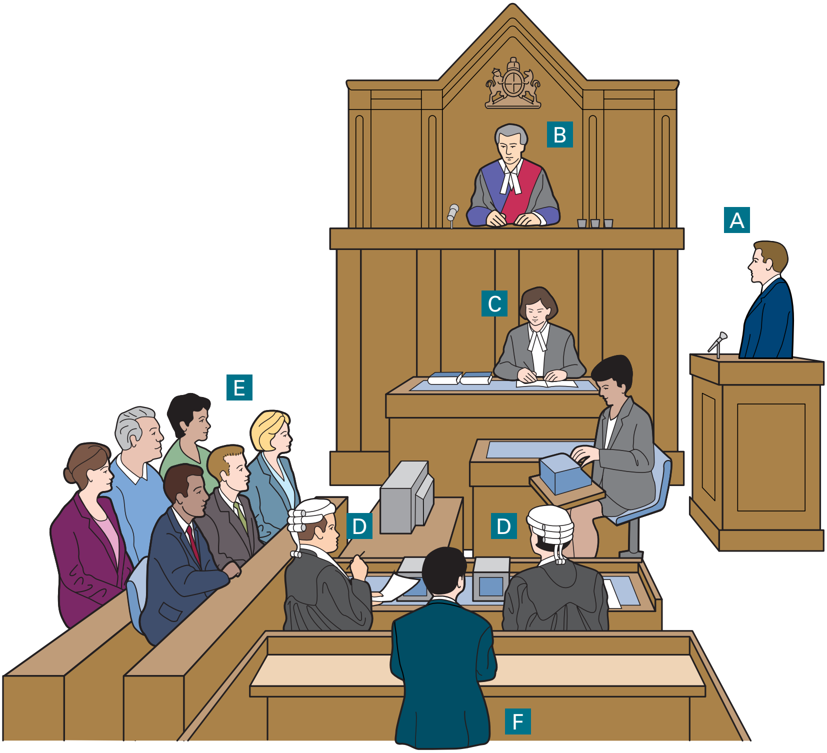

मुख्य: A गवाह B जज C अदालत का कलर्क

D अभियोजन और प्रतिवादी के लिए वकील

E जूरी के सदस्य F प्रतिवादी

यूथ कोर्ट

अधिकतर प्रतिवादी जो कि 18 वर्ष से कम आयु के हैं, उनके साथ यूथ कोर्ट में विशेषरुप से प्रशिक्षित मैजिस्ट्रेटों या किसी डिस्ट्रिक्ट जज द्धारा निपटा जाता है। इन मामलों में कोई जूरी नही होती है। व्यस्क मैजिस्ट्रेट की अदालतों और क्राउन कोर्टों के विपरीत, जो कि आमतौर पर आम जनता के लिए खुले रहते हैं, कानून यूथ कोर्ट तक केवल इन्हीं व्यक्तियों को जाने देता है:

- कोर्ट के सदस्य और पदाधिकारी;
- केस में शामिल दोनों तरफ के व्यक्ति और उनके कानूनी प्रतिनिधी;
- गवाहों;
- अन्य वह व्यक्ति जो कि परोक्ष रुप से इस केस में शामिल हैं; और
- प्रचार माध्यम के सदस्य और अन्य वह व्यक्ति जिनको कि अदालत वहाँ पर उपस्थित होने के अधिकार देती है। (प्रचार माध्यम के व्यक्ति कार्यवाहियों की रिपोर्ट दे सकते हैं लेकिन आमतौर पर वह केस में शामिल किसी नौजवान व्यक्ति का नाम नही बता सकते)

अगर किसी बच्चे या नौजवान पर निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं, तो उनका मुकद्दमां यूथ कोर्ट में नही चलाया जायेगा:

- जान से मारने या जनहत्या (यह मामले हमेशा मुकद्दमें के लिए क्राउन कोर्ट में जायेंगे);
- बहुत गम्भीर अपराध, जैसे कि डाका डालना, और यूथ कोर्ट यह समझता है, कि इस मामले में क्राउन कोर्ट द्धारा अधिक सज़ा सुनाने की ज़रुरत है; या
- या एक व्यस्क के साथ मिलकर किया गया अपराध (एक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है) – इस प्रकार के केसों की सुनवाई व्यस्कों के मैजिस्ट्रेट की अदालत या क्राउन कोर्ट में सुनी जाती है।

यह चित्र एक आम यूथ कोर्ट को दिखाता है। मैजिस्ट्रेट आमतौर पर उसी ऊंचाई पर बैठता है, जितनी उंचाई पर कोर्ट में सभी व्यक्ति बैठते हैं।

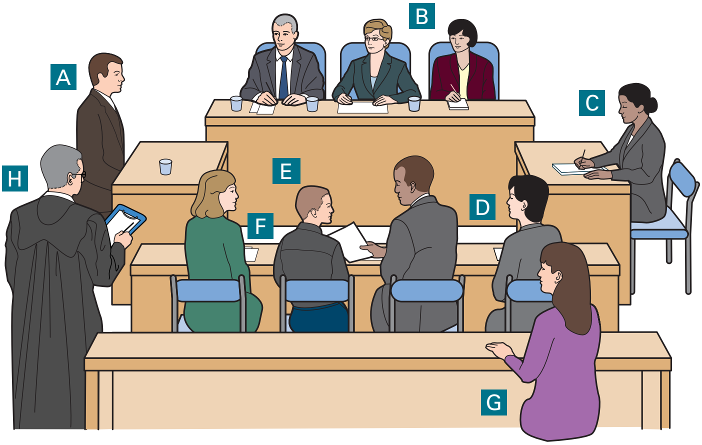

मुख्य: A गवाह B मैजिस्ट्रेट C कोर्ट का कलर्क
D अभियोजन और प्रतिवादियों के लिए वकील E प्रतिवादी के माता-पिता
F नौजवान अपराधी G टीम वर्कर H (Usher) अशर (भेंट करवाने वाला)

04 अदालत के कमरे में कौन क्या होता है?

- **प्रतिवादी**
- **वकील**
  - **अभियोजन पक्ष**
  - **बचाव पक्ष**
- **गवाह (जिसमें आप भी शामिल हैं)**
- **मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज या जज**
- **जूरी (केवल क्राउन कोर्ट में)**
- **कोर्ट का कलर्क**
- **कोर्ट का अशर (जान पहचान करवाने वाला)**
- **अन्य व्यक्ति**

प्रतिवादी (Defendant)

प्रतिवादी (जिसको कि 'दोषी' के नाम से भी जाना जाता है) वह व्यक्ति होता है जिस पर की अपराध के आरोप लगाते हैं।

वकील

एक वकील (या वकीलों की एक टीम) अभियोजन पक्ष के लिए बोलेगा और एक प्रतिवादी के लिए बोलेगा। अगर एक से अधिक प्रतिवादी हैं, तो प्रत्येक प्रतिवादी के लिए अलग-अलग वकील हो सकता है।

अधिकतर अभियोजन के मामले क्राउन (क्वीन Queen) की ओर से क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (Crown Prosecution Service (CPS) द्वारा निपटाये जाते हैं। यही वजह है कि जब आप किसी केस को सुनते या उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में ऐसे कहते हैं आर वी *(R v)* 'प्रतिवादी का नाम' , यहाँ पर आर का मतलब है 'रेजीना' या रानी। क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस इस बात का निर्णय लेती है, कि क्या पुलिस द्वारा जाँच-पड़ताल किये गये मामलों को अभियोजित किया जाये या नही और, अगर ऐसा होता है, तो प्रतिवादी के विरुद्ध क्या आरोप लगाये जायें।

दोनों तरफ के वकील मैजिस्ट्रेट या जूरी को यह बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सबूत सच्चाई को दिखाते हैं कि वास्तव में क्या हुआ है।

गवाह (आपके समेत)

आमतौर पर अभियोजन के लिए (जिसकी गवाही को प्रतिवादी को दोषी सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है) और प्रतिवादी के लिए गवाह होते हैं (निर्दोष)।

चाहे आपको अभियोजन पक्ष के गवाह या प्रतिवादी पक्ष के गवाह की तरह से बुलाया गया हो, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह आपके सबूतों को केस के किस पक्ष की तरफ अधिक सहायत मानते हैं।

मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज या जज

मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज या जज आपसे आपकी गवाही की टिप्पणी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। क्राउन कोर्ट के मुकद्दमें में, जूरी प्रश्नों को लिख सकती है, जिन्हें वह जज को देते हैं। तब जज गवाहों से पूछता है।

अगर प्रतिवादी दोषी पाया जाता है (अपराध सिद्ध होना), तब मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज या जज सज़ा का निर्णय करते हैं (प्रतिवादी को क्या होता है, जैसे कि जुर्माना, कम्यूनिटी की सेवा या जेल की सज़ा)।

जूरी (केवल क्राउन कोर्ट में)

जूरी 12 व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है, जो कि जहाँ तक संभव होता है, वह 'आम जनता' का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि जूरी के व्यक्तियों को बिना किसी क्रम के चुना जाता है, तो उनके प्रतिनिधित्व में वह विभिन्न आयु, विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों, और भिन्न-भिन्न व्यवसायों को करने की झलक दिखाई देने की संभावना होती है।

एकबार जूरी जब सभी सबूतों को सुन लेती है, जिसमें कि यह भी शामिल होता है कि आप क्या कहते हैं (और अन्य गवाह), वह एक निजी कमरे में इस बारे में बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या सुना है। वह सबूतों के बारे में बातचीत करते हैं। अगर उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि उन्होंने उस सबूत को सुना है कि प्रतिवादी नें अपराध किया है, तो वह प्रतिवादी को दोषी मान लेंगे। अगर जूरी प्रतिवादी के दोषी होने पर विश्वास नही करती है, तो उन्हें उसे निर्दोष साबित करना चाहिए।

जूरी के एक सदस्य को फोरमैन (Foreman) चुना जाता है, और वह अदालत को बताता है कि सभी 12 व्यक्तियों ने निर्णय ले लिया है। यह जूरी का निर्णय है। अदालत में उपस्थित सभी व्यक्ति इस निर्णय को सुनते हैं।

कभी- कभी सभी 12 व्यक्ति इस बात से सहमत नही होते हैं कि क्या उन्होंने प्रतिवादी को दोषी पाया है या निर्दोष, चाहे वह इस बात पर बहुत दिनों या यहाँ तक कि हफ्तों तक बात करते रहे हैं। अगर ऐसा होता है, तब जज जूरी को यह बतायेगा, कि अगर आप में से 10 व्यक्ति सहमत हैं तो निर्णय को दिया जा सकता है (एक अधिकतर सहमती वाला निर्णय)। अगर अधिकतर सहमती वाला निर्णय पर वापिस नही पहुँचा जा सकता है, तब अभियोजन पक्ष को यह निर्णय लेना चाहिए कि क्या वे दुबारा से मुकद्दमे का ट्रायल करवाना चाहते हैं, जिसका मतलब यह होगा कि सारे केस की सुनवाई किसी भिन्न जूरी के सामने दुबारा से होगी। अगर अभियोजन पक्ष दुबारा से ट्रायल न करवाने का निर्णय लेता है, तो प्रतिवादी को निर्दोष माना जाएगा।

कोर्ट का कलर्क या बाबू

कोर्ट का कलर्क यह सुनिश्चित करता है, कि सभी व्यक्ति जो कि अदालत में होने चाहिए वो वहाँ पर हैं, और जो भी कुछ होना है वह समय पर और ठीक प्रकार से हो। अगर जज को कोई सूचना चाहिए तो वह अन्य मुकद्दमों के ट्रायल के प्रमाणों को देख सकते हैं, कि उनमें क्या हुआ था। मैजिस्ट्रेट की अदालत में, कलर्क जिसको कि आमतौर पर कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है, वह कानूनी मामलों पर मैजिस्ट्रेट को भी सलाह देता है।

कोर्ट के अशर (जानपहचान करवाने वाले) छअुरट ुरहेरर

जब अदालत में वकील यह कहता है कि वह किसी को गवाह के रुप में बुलाना चाहते हैं, उस समय अशर ही वह आदमी होता है जो वास्तव में उस समय अदालत के बाहर जाता है और उन्हें अंदर बुलाता है।

अन्य व्यक्ति

अन्य व्यक्ति जिनको कि आप अदालत में देखते हैं, उनमें पुलिस पदाधिकारी, प्रॉबेशन ऑफिसर, विटनेस सर्विस और पत्रकारिता के सदस्य होते हैं। कुछ अदालतों में, जनता के सदस्यों को आने और सार्वजनिक गैलरी में बैठ कर यह देखने की अनुमती होती है, कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें केस में सम्बंधित व्यक्तियों के मित्र और रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं।

05 आपके अदालत में जाने से पहले क्या होता है?

अगर आप अभियोजन पक्ष के गवाह हैं, तो आमतौर पर आपको पुलिस से एक 'गवाह की चेतावनी' वाला पत्र प्राप्त होगा। यह आपको बतायेगा कि आपको कब और कहाँ अदालत में गवाही देने के लिए जाना है। संभ्वतयः आपको मुक्द्दमें की तारीख के बारे में दो हफ्ते से अधिक का नोटिस नही दिया जायेगा। एक वकील आपको यह बतायेगा कि आपके केस की सुनवाई इस हफ्ते या अगले हफ्ते होगी, लेकिन आमतौर पर मुकद्दमां आरम्भ होने से एक दिन पहले शाम तक किसी को भी आरम्भ होने का सही समय का पता नही होता है।

अगर आप प्रतिवादी के गवाह हैं, तो प्रतिवादी का वकील आपसे यह बताने के लिए सम्पर्क करेगा कि आपको अदालत में कब जाना है।

जब पुलिस या प्रतिवादी का वकील आपकी टिप्पणी या स्टेटमैंट ले लेते हैं, तब वह अपसे पूछेगें कि आप अदालत में कब जा सकते हैं। अदालत बाकी यह सब कर सकती है कि मुक्द्दमें की तारीख ऐसी तय करे जो कि केस में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक हो। लेकिन गवाहों को भी कोई भी ऐसी चीज दुबारा से करने के लिए, जो कि गवाही देने के दौरान उनके आड़े आ सकती है, हरसंम्भव प्रयास करने की ज़रुरत होगी।

काम पर से छुट्टी लेना

अगर आपको अपने काम से छुट्टी लेने की ज़रुरत है, तो आपको अपने नियोक्ता को यह बताने के लिए कि आपको अदालत में जाना है, इसके लिए आपको उसे गवाह की चेतावनी वाला पत्र सबूत के रुप में दिखाना चाहिए। आपके नियोक्ता को उस समय के लिए आपको पैसा देने की ज़रुरत नही होगी जब आप गवाह के रुप में उपस्थित होने के लिए काम पर से छुट्टी लेते हैं। अगर आप अपने वेतन को खोते हैं, तो आप अपनी खोई हुई कमाई के लिए गवाह भत्ता ले सकते हैं (अपने खर्चों के लिए दावा करने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पेज नम्बर 23 को देखें)। खोई हुई कमाई का भत्ता, हो सकता है कि आपकी वास्तविक खोई हुई कमाई से कम हो।

छुट्टियां

आपसे अदालत में उपस्थित होने की आशा उस स्थिती में भी की जाती, चाहे वह तारीखें आपकी छुट्टियों की योजना के आड़े आ रही हों। आप अपनी छुट्टियों का दुबारा से प्रबन्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें कि यदी आप आखीर में सब रद्द करवायेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको पैसे का नुक्सान हो सकता है। आपका हॉलीडे (छुट्टियों) का बीमा आपके लिए लागू नही होगा, अगर आपको यह बताया गया है कि ट्रायल या सुनवाई के पूरे होने से पहले की गई छुट्टियों की बुकिंग एक समस्या हो सकती है।

स्वास्थय समस्यायें

अगर आप इतने बीमार हैं कि उस दिन आप अदालत में नही जा सकते, जिस दिन आपको गवाही देनी है, तो आप उस कलर्क या वकील से सम्पर्क करें और उसे बतायें, जिसने आपसे गवाही देने के लिए कहा है।

आप अपने जी पी से एक चिकित्सा प्रमाणपत्र के लिए पूछ सकते हैं, और उसे उस व्यक्ति के पास भेजें जिसने आपसे अदालत में आने के लिए कहा है। अगर आपको वह प्रमाणपत्र मुकद्दमें वाले दिन मिलता है, तो आप अदालत को फोन कर सकते हैं, और बाद में उसे जल्दी से जल्दी फेक्स द्वारा या भेज सकते हैं।

अगर यह दिखाई देता है कि आपकी बिमारी कुछ दिनों या अधिक समय तक के लिए रहेगी, तो अभियोजन या प्रतिवादी पक्ष के वकील से सम्पर्क करें और उनसे पूछें कि अदालत में गवाही सुने जा सकने के लिए और अन्य क्या प्रबन्ध किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अदालत इस बात पर सहमत हो सकती है कि इसकी बजाये आपके द्वारा दी गई पहली टिप्पणी को सुना जा सकता है।

अन्य समस्यायें

अगर कोई अन्य ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आप अदालत में नही जा सकते हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अदालत से सम्पर्क करना चाहिए।

आपको क्या करने की ज़रुरत है

व्यक्ति जो आपसे अदालत में आने के लिए पूछता है, उसे आपको यह सूचना भी देनी चाहिए कि आप किस प्रकार से अदालत में आयेंगे, और यहाँ क्या-क्या सुविधायें उपलब्द्ध हैं। क्राउन कोर्ट के केन्द्र पर एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है, जिससे कि आप सुविधाओं के बारे में पूछ सकते हैं। आप फोन पुस्तिका में 'क्राउन कोर्ट' के नीचे अदालत का नम्बर पा सकते हैं। विटनेस सर्विस भी आपकी इस सूचना में सहायता कर सकती है।

अगर निम्नलिखित में से आप के ऊपर कुछ भी लागू होता है तो, आपको उसे उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए जिसने आपसे अदालत में आने के लिए कहा था।

- आप अपाहिज हैं या कोई अन्य विशेष ज़रुरत है, जिसका मतलब यह है कि आपको अदालत में आने के लिए या अदालत की इमारत में चलने फिरने के लिए सहायता की ज़रुरत होगी। अदालतें, डिसेबिलीटी डिस्क्रिमीनेशन एक्ट 1995 के अंतर्गत इन शर्तों को पूरा करती हैं, और उन्हें यथायोग्य अन्य प्रबन्ध करने चाहियें।
- आप सोचते हैं कि आपको दुभाषिये की आवशयकता होगी।
- मुकद्दमां आरम्भ होने से पहले आप अदालत को देखना चाह सकते हैं। आप इसका प्रबन्ध विटनेस सर्विस या क्राउन कोर्ट के कस्टम सर्विस ऑफिसर के साथ भी कर सकते हैं। या 2003 की पतझड़ से आप क्रिमिनल जस्टिस सिसटम की वैबसाईट (www.cjsonline.org) पर भी यह देखने के लिए जा सकते हैं, कि 'वास्तव' में एक गवाह अपराधिक न्याय प्रणाली से कैसे निकलता है।

अगर आप यह सोचते हैं कि आपको निम्नलिखित में से किसी चीज़ की ज़रुरत पड़ सकती है तो आपको विटनेस सर्विस से सम्पर्क करना चाहिए।

- निजी पासपोर्ट;
- अदालत के कमरे तक आपके साथ जाने के लिए कोई व्यक्ति; या
- इस बारे में सूचना कि अदालत में क्या होता है।

भयभीत करना या डराना

किसी गवाह, जूरी के सदस्य या कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि एक जाँच-पड़ताल में पुलिस की सहायता कर रहा है, उनको डराना या भयभीत करना एक अपराधिक अपराध है। अगर आप मुकद्दमें से पहले, दौरान या बाद में किसी भी रुप में प्रताडित या डराये जाते हैं, तो आपको इस बारे में पुलिस या क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (CPS) के प्रतिनिधी या अदालत में किसी अन्य अभियोजन करने वाली अथॉरिटी को बताना चाहिए। अगर आप प्रतिवादी के गवाह हैं, तो आपको इस बारे में अदालत में प्रतिवादी के वकील या उनके प्रतिनिधी को बताना चाहिए। अगर आपको यह पक्का पता नही है कि अदालत में किसको बताना है तो अदालत के अशर से बात करें।

अगर आप प्रतिवादी, अन्य गवाहों, उनके मित्रों या रिश्तेदारों, या मुक्दमें या सुनवाई में शामिल किसी भी व्यक्ति से मिलने की चिन्ता में हैं, तो इस बारे में विटनेस सर्विस, पुलिस, या अदालत में काम करने वाले किसी व्यक्ति या उस वकील को जिसने आपको एक गवाह के रुप में बुलाया है, को बतायें। वहाँ पर एक अलग से कमरा होना चाहिए जहाँ पर आप ट्रायल से पहले या सुनवाई के दौरान प्रतीक्षा कर सकते हैं।

उन गवाहों के लिए अदालत में विशेष कदम, जो कि कमज़ोर है या डरे हुए हैं

कुछ व्यक्ति अदालत में सबूतों को देने की प्रक्रिया को विशेषरुप से कठिन या त्रासदीपूर्ण पा सकते हैं, और उनको अतिरिक्त सहायता की ज़रुरत होती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे की उनकी आयु, वह अदालत की प्रक्रिया के बारे में अपने को डरा हुआ या व्याकुल महसूस कर सकते हैं, या उन्होंने कोई ऐसी चीज देखी हो सकती है, जिसने उन्हें वास्तव में सदमें में डाल दिया हो या डरा दिया हो। इन व्यक्तियों की सहायता करने के लिए विशेष तरीके यहाँ पर उपलब्ध हैं (जिनका वर्णन 'कमजोर या डरे सहमे गवाहों के रुप में किया गया हैं) ताकि वह अपनी गवाही यथासम्भव अच्छे तरीके से दे सकें।

क्या आप विशेष तरीकों के योग्य हें?

आप इन विशेष तरीकों के योग्य 'कमज़ोर गवाह' के रुप में हो सकते हैं, अगर;

- आप अदालत की सुनवाई के समय १७ वर्ष से कम आयु के हैं; या
- अदालत यह सोचती है कि आपको अपने सबूतों को देने के लिए अतिरिक्त सहायता की ज़रुरत हो सकती है, क्योंकि आप:
    - दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं;
    - आपमें बहुत कम समझदारी है; या
    - शारिरिक अपाहिजता है या किसी शारिरिक अनियमितता से पीड़ित हैं।

आप 'डरे हुए गवाह' के रुप में विशेष तरीकों को लेने के योग्य हो सकते हैं, अगर आपके डर या शोकाकुल होने की वजह से, कार्यवाही के दौरान आपकी गवाही देने पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अदालत इस बात का निर्णय लेगी कि क्या आप इन विशेष तरीकों के योग्य हैं या नही। वह पुलिस, क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस या प्रतिवादी वकील से सलाह लेंगे, और इस बारे में आपके विचारों का खयाल रखेंगे कि क्या आप विशेष तरीकों के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

यह विशेष तरीके क्या हैं?

- गवाही के बाक्स या कटघरे के चारो तरफ एक परदा लगा दिया जाता है ताकि गवाह और प्रतिवादी एकदूसरे को न देख सकें।
- गवाह उस अदालत के कमरे से दूर एक कमरे में बैठता है, जहाँ पर मुकद्दमां चल रहा होता है, और वह जीवित टी वी प्रसारण के माध्यम से अपनी गवाही देता है। गवाह जज, मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज और वकीलों को देख सकता है, और अदालत के कमरे के व्यक्ति गवाह को देख सकते हैं।
- सार्वजनिक गैलरी को खाली कर दिया जाता है सिवाये प्रेस के एक सदस्य के।
- जज और वकील औपचारिक काले वस्त्र (गाऊन) और विग नही पहनते हैं, जो कि आमतौर पर क्राउन कोर्ट में पहने जाते हैं।
- गवाह को मुख्य सबूत के रुप में विड़ियो दिखाया जाता है (क्रास एक्जामिनेशन के वक्त कहा गया मुख्य सबूत)।
- 17 वर्ष की आयु से कम का गवाह बच्चा या व्यस्क गवाह, जो कि अपनी शारिरिक, मानसिक या सीखने की अपहाजिता या अनियमितता की वजह से कमज़ोर हैं, उन्हें अदालत में अपनी गवाही देने में सहायता करने के लिए, एक बातचीत द्वारा सम्पर्क करने की मशीन दी जाती है (उदाहरण के लिए एक वर्णमाला का बोर्ड)।
- मुकद्दमें से पहले गवाह से दूसरी तरफ के वकील के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न पूछने को विडियो पर रिकार्ड कर लिया जाता है, और इसको गवाह से मुकद्दमें में परोक्ष रुप से प्रश्न पूछने के बदले में दिखाया जाता है।
- 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे, या किसी ऐसे व्यस्क गवाह के लिए जो कि अपनी शारिरिक, मानसिक या सीखने की अपंगता की वजह से कमज़ोर है, उसकी सहायता करने के लिए, अदालत एक सहमती प्राप्त स्वतंत्र बिचौलिये की अनुमती देता है, ताकि वह कानूनी प्रतिनिधी और अदालत से बातचीत कर सकें।

क्या यह विशेष तरीके अब भी उपलब्द्ध हैं?

यह विशेष तरीके अदालत में धीरे-धीरे या एक-एक कर के आरम्भ किये जाते हैं, इसलिए सभी नये तरीके अभी तक अदालत में उपलब्द्ध नही हैं।

क्राउन कोर्ट में

सभी विशेष तरीके यहाँ पर उपलब्द्ध हैं सिवाये ट्रायल के सामने क्रॉस एक्जामीनेशन की विडियो रिकार्डिंग और बिचौलियों के प्रयोग को छोड़कर। इन दो तरीकों को प्रयोग में लाने से पहले, उनका आने वाले कुछ समय में परीक्षण किया जायेगा। और मुख्य गवाह की विड़ियो रिकार्डिंग भी वर्तमान में केवल कमजोर गवाहों के लिए उपलब्द्ध है।

मैजिस्ट्रेट और यूथ कोर्ट में

अभी तक मैजिस्ट्रेट और यूथ कोर्ट में उपलब्द्ध विशेष तरीका केवल टी वी के माध्यम का प्रयोग और 17 वर्ष की कम आयु के उन बच्चों की मुख्य गवाही की विड़ियो रिकार्डिंग के लिए है, जो कि कामुक अपराधों, हिंसात्मक (जिसमें धमकियाँ भी शामिल हैं) और बरबर्ता वाले अपराधों में शामिल होते हैं।

क्या बच्चे गवाहों के लिये कोई अन्य प्रबन्ध भी हैं?

बहुत से क्राउन कोर्ट के केन्द्रों के पास बच्चे गवाहों के लिए विशेष सुविधा उपलब्द्ध है। सभी क्राउन कोर्ट के केन्द्रों के पास एक चाईल्ड़ विटनेस ऑफिसर होता है जो कि यह कार्य करेगा:

- कोर्ट में सुविधाओं और अदालत की कार्यप्रणालियों के बारे में आपके प्रश्नों का उत्तर देगा;
- इस बारे में बतायेगा कि कैसे एक जीवन्त टी वी माध्यम कार्य करता है; और
- किसी बच्चे और उसके साथी को एक प्रतीक्षा करने वाली निजी जगह पर ले जायेगा।

अगर आप किसी गवाह बच्चे के माता-पिता या संरक्षक हैं, तो आप और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए, चाईल्ड़ विटनेस ऑफिसर या विटनेस सर्विस से सम्पर्क कर सकते हैं।

06 कोर्ट में जाना

खर्चे

आप अदालत को जाने के लिए यात्रा में होने वाले कुछ खर्चे के लिए, भोजन के भत्ते के लिए और खोई हुई कमाई या अन्य वित्तिय हानि जैसे कि बच्चे की देखरेख के लिए, दावा कर सकते हैं। कितनी धनराशी का आप दावा कर सकते हैं, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अदालत में जाने की वजह से कितने समय के लिए घर या अपने काम से दूर रहे। आप केवल तभी तक खर्चों के लिए दावा कर सकते हैं, जब तक कि अदालत आपसे यह नही कह देती है कि आपको छोड़ दिया जाता है।

अगर आप अभियोजन पक्ष के गवाह हैं, तो जब आप अदालत में पहुँचते हैं, तो आप CPS के प्रतिनिधी या अदालत के स्टॉफ से दावे के फ़ॉर्म के लिए पूछें। अगर संभव होगा तो, CPS को आपके द्वारा पूरा भरा हुआ फ़ॉर्म प्राप्त होने के बाद, आपको 5 से 10 कार्यकारी दिनों के लिए पैसा अदा किया जायेगा।

अगर आप प्रतिवादी के गवाह हैं, तो अदालत के स्टॉफ से दावे के फ़ॉर्म के लिए पूछें।

अगर आपको फ़ॉर्म भरने में किसी सहायता की ज़रुरत है, तो इसके लिए विटनेस सर्विस या अदालत के किसी स्टॉफ़ से पूछें।

कुछ मामलों में, जहाँ पर व्यक्ति अदालत तक जाने का खर्चा नही उठा पाते हैं वहाँ पर उनहें अग्रिम धन दिया जाता है। अगर यात्रा के खर्चे के लिए आपको अग्रिम राशी की ज़रुरत है तो आपको उस व्यक्ति से सम्पर्क करना चाहिए जिसने आपको अदालत में आने के लिए कहा था।

यात्रा

कभी-कभी, व्यक्ति इन बातों कि चिन्ता करते हैं कि जैसे क्या वह समय से अदालत में पहुंच पायेंगे, क्या उन्हें गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिलेगी या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम उन्हें कहाँ पर मिलेंगे। यह सब रास्ते में उन्हें उस समय के लिए और आरामदायक और विश्वास से भरा हुआ बना देता है, जब उनका गवाही देने का समय आता है।

वह व्यक्ति जो आपको गवाह कह कर पुकार रहा है, उसे आपको व्यवहारिक बातें बतानी चाहियें कि वह आपको उस दिन किस समय सम्पर्क करें, जिस दिन आप गवाही देने की अपेक्षा कर रहे हैं।

अपनी ज़रूरतों के बारे में अन्य किसी भी जानकारी के लिए पूछें, जैसे कि गाड़ी खड़ी करने के प्रबन्ध और उसकी फीस, या वहाँ पर कोई खाना या पेय पदार्थ उपलब्द्ध होगा। कार ख़ड़ी करने के लिए और जलपान के लिए, आपको अपने साथ पैसा लाने की ज़रूरत हो सकती है (जिसमें की खुले पैसे भी शामिल हैं)

मित्र और रिश्तेदार

उस व्यक्ति से पूछें जिसने आपको अदालत में आने के लिए कहा था, कि क्या कोई मित्र या रिश्तेदार आपके साथ आ सकता है। अधिकतर अदालतों में आपको आज्ञा लेने की ज़रूरत नही होती है। हालांकि, अगर आप ओल्ड बेली के मुकद्दमें में गवाह हैं (लन्दन में सैन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट), तो आपको सुरक्षा की दृष्टी से अदालत को इस बारे में बताना होगा।

अगर कोई मित्र या रिश्तेदार आपका साथ देने के लिए आपके साथ अदालत में आता है, तो वह अदालत से यात्रा पर हुए खर्चे या उनके द्धारा भोजन पर किये गये खर्चे ओर आपके वहाँ पर होने वाले किसी भी खर्चे के लिए दावा करने के योग्य नही होंगे। लेकिन अगर आपको अपनी सहायता के लिए किसी को अपने साथ लाने की ज़रूरत है, उदाहरण के लिए, जब आप गवाही दे रहे हैं तो उस समय आपके बच्चे की देखरेख करने के लिए, या क्योंकि आपको चलने फिरने में तकलीफ है और इस कारण सहायता की ज़रूरत है, तो वह उन खर्चों को लेने का दावा करने के योग्य हो सकते हैं, जैसे कि यात्रा में हुए खर्च।

07 जब आप अदालत में होते हैं तो क्या होता है?

कई बार व्यक्ति इस बात की चिन्ता करते हैं कि क्या वह इमारत को ढूंढ सकेगें, या इमारत के चारों तरफ अपना रास्ता पा सकेंगे, या वह किसी गलत व्यक्ति से बात तो नही कर लेंगे। यह उनको उस समय विशवासपूर्ण या शांत होने में कठिनाई पैदा करता है जब वह अपनी गवाही देने जा रहे हों।

अदालत में होना एक डरा हुआ या दवाब वाला अनुभव नही होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए सहायता और सहारा उपलब्द्ध है।

जब आप वहाँ पहुंचते हैं

आपको अपना रास्ता पता करने के लिए वहाँ आपकी सहायता के लिए साफ-साफ संकेत होंगे। सभी केसों की सूची प्रतिवादी के नाम के नीचे होती है। स्वागतकक्ष पर स्वागतकर्त्ता या अशर को प्रतिवादी का नाम दें और उन्हें उस पत्र को दिखायें जिसमें कि आपसे अदालत में आने के लिए पूछा गया है।

स्वागतकर्त्ता आपको बतायेगा कि आपको कहाँ पर प्रतीक्षा करनी है। अगर आप पहले से ही विटनेस सर्विस के सम्पर्क में नही हैं, तो आप उनसे अदालत में पहुंच जाने पर सम्पर्क कर सकते हैं। अगर आपको कस्टमर सर्विस ऑफिसर से बात करने की ज़रुरत है, तो स्वागतकक्ष पर पूछें।

अगर आप अभियोजन पक्ष के गवाह हैं, तो आमतौर पर क्राउन प्रॉसीक्यूशन (CPS) से कोई प्रतिनिधी आपसे अपना परिचय करवायेगा / करवायेगी।

अगर आपने टिप्पणी या स्टेटमैंट दे रखा है और आप उसे गवाही देने से पहले देखना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करने की अनुमती होगी। अगर आप अभियोजन पक्ष के गवाह हैं, तो CPS से इसकी एक कॉपी के बारे में पूछें। अगर आप प्रतिवादी के गवाह हैं, तो प्रतिवादी के वकील से इसकी कॉपी के लिए पूछें। अगर यह स्टेटमैंट उस समय आपके साथ रहकर सहायक हो सकती है, जब आप गवाही दे रहे हैं, तो वकील से अपने मामले में इसकी संभावना के बारे में पूछें।

अगर आप अदालत के कमरे को केस के आरम्भ होने से पहले देखना चाहते हैं तो, अशर, कस्टमर सर्विस ऑफिसर या विटनेस सर्विस आपको इसकी अनुमती देगें। आप इस काम को सुबह में सबसे पहले कर सकते हैं या दोपहर के भोजन के दौरान।

गवाही देने से पहले

अदालत यह सुनिश्चित करने कि कोशिश करेगा कि गवाही के लिए पुकारे जाने से पहले आपको दो घंटे से अधिक इंतजार न करना पड़े।

गवाही के कटघरे में जाने से पहले अपने सबूतों के बारे में किसी भी अन्य व्यक्तियों से बात न करें। यह अदालत को इस आशचर्य में डाल सकता है कि इस बात पर आपने पहले से ही समझौता तो नही कर लिया है कि क्या कहना है। आप उन पुलिस पदाधिकारियों और वकीलों से बात कर सकते हें (दोनों अभियोजन और प्रतिवादी पक्ष के) जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, यद्यपी आप अपने सबूतों के बारे में उनसे भी बातचीत नही कर सकते हैं।

अगर आपके केस के आरम्भ होने से पहले इंतजार करने के लिए कुछ समय है, तो आप अदालत के कमरे की सार्वजनिक गैलरी में बैठ सकते हैं और अन्य केसों को सुन सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो अशर को बता कर जायें कि आप कहाँ गये हैं। एकबार जब आपका केस आरम्भ हो जाता है, तो आप अदालत के कमरे को एकदम छोड़ दें और तब तक इंतजार करें जब तक कि आपकी गवाही देने की बारी नही आ जाती। आपको अन्य गवाहों के द्वारा दी जाने वाली गवाही को नही सुनना चाहिए।

जब आपकी गवाही देने की बारी होती है

जब गवाह के रुप में गवाही देने के लिए आपके नाम को पुकारा जाता है, तो अशर आपको गवाही के कटघरे तक ले जायेगा। क्राउन कोर्ट में इसका मतलब होता है कि आप अब जूरी का सामना कर रहे हैं।

जब आप अपनी गवाही देते हैं तो आपसे खड़े होने की अपेक्षा की जाती है, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको बैठने की ज़रुरत होगी तो इस बारे में आपको एक अशर को बताना चाहिए। वह जज या मैजिस्ट्रेट से इसकी अनुमती के लिए पूछेगें।

तब आपसे शपथ लेने के लिए कहा जायेगा। इसका मतलब यह है कि आपको अपने धर्म की पवित्र किताब को रखकर सच बोलने की कसम खानी होगी। अगर आप चाहते हैं तो, आप सच बताने, पूरा सच और सच के सिवा और कुछ नही बताने का वादा कर सकते हैं। अशर आपसे अदालत के कमरे में आने से पहले आपसे पूछेगा कि क्या आप पवित्र किताब का वादा या कसम खाना चाहते हैं।

वह आपसे उन अन्य तौरतरीकों और आचरणों के बारे में भी पूछेंगे, जिन्हें आप गवाही देने से पूर्व पूरा करने चाहते हैं।

अपनी गवाही को देना

अदालत में गवाही देना आमतौर पर वैसा नही होता है, जैसे कि आपने पहले अपनी टिप्पणी या स्टेटमैंट दिया है। इसकी बजाए, वकील आपसे प्रश्न पूछेंगे – और वह उन प्रश्नों को दोहराते हुए भी दिख सकते हैं या उन्ही प्रश्नों को भिन्न तरीकों से पूछ सकते हैं। कृप्या निम्नलिखित को याद रखें।

- अधिकतर मामलों में प्रतिवादी ने अपने आपको दोषी नही माना होगा। आपकी गवाही अदालत को यह निर्णय लेने में सहायता करेगी कि क्या वह वास्तव में दोषी है या नही।
- अगर आप पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर नही जानते हैं या उसके बारे में निश्चित नही हैं, तो ऐसा कह दें। आप मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज या जज से सलाह के लिए पूछ सकते हैं।
- गवाही देने के समय अगर आपसे कुछ बातें न बोलने के लिए कहा गया है तो इसके बारे में चिन्ता न करें। यह इसलिए होता है क्योंकि किस प्रकार की गवाही के लिए कुछ नियम बने होते हैं, जिनको कि अदालत सुन सकती है।
- अपना पूरा समय लें और धीरे और साफ–साफ बोलिए।
- अगर आप किसी प्रश्न को समझ नही पाते हैं या सुन नही पाते हैं तो उसे दुबारा से कहने के लिए पूछें।
- मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज या जज को आपके केस के बारे में सारा कुछ पता नही होता है, इसलिए इस बात की सावधानी बरतें कि आप अपनी गवाही में से कुछ बाकी न छोड़ें।
- गवाहों को कई बार सबूत देने के लिए बुलाया जाता है, उस स्थिती में भी जबकी प्रतिवादी नें अपना दोष कबूल कर लिया है। यह तब होता है जब अपराध के तथ्यों के बारे में सहमती नही होती है।

अगर आपसे अभियोजन पक्ष के गवाह के रुप में आने को कहा जाता है, तो अभियोजन पक्ष का वकील आपसे प्रश्न पूछेगा। तब प्रतिवादी का वकील आपसे प्रश्न पूछेगा (आपसे क्रॉस एक्जामिन करेगा)। अगर आप प्रतिवादी के लिए गवाह हैं, तो प्रतिवादी का वकील पहले अपने प्रश्न पूछेगा, और बाद में अभियोजन पक्ष का वकील। जब एक वकील ने अपने प्रश्न पूछने समाप्त कर दिये हैं, तो आप गवाही के कटघरे में ही रहेगे। जज (या मैजिस्ट्रेट) दूसरे वकील को आपसे प्रश्न पूछने के लिए निमंत्रित करेगा। बहुत से व्यक्ति दूसरे वकील के द्वारा क्रॉस-एक्जामिन किये जाने के बारे में बहुत हैरान या चिन्तित होते हैं। निम्नलिखित को याद रखना बहुत ज़रुरी है।

- यह एक निजी मामला नही होता है - यह वकील का काम होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आपने कोई गल्ती नही की है।
- आप ट्रायल पर नही हैं। वकील व्यक्तियों को यह सुचवाने की कोशिश नही कर रहे हैं कि आप बेवकूफ हैं, या आपको झूठे के नाम से पुकारा जाए। अगर प्रश्न बहुत उत्तेजनात्मक हो जाता है, तब वह वकील जिसने आपको गवाह के रुप में बुलाया है, उसे जज या मैजिस्ट्रेट से इसे रोकने को कहने का अधिकार है। जज या मैजिस्ट्रेट भी वकील से प्रश्न करने को मना करने के लिए पूछ सकते हैं।
- हमारा कानून इस विचार पर आधारित हैं कि प्रतिवादी तब तक निर्दोष होता है जब तक कि उसका दोष सिद्ध न हो जाए। इस बात को सुनिश्चित करना कि, गवाह की गवाही वास्तव में कुछ साबित कर सके,ये इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है।

अधिकतर मामलों में, प्रतिवादी के पास एक वकील उपस्थित होगा और वह आपसे प्रश्न पूछेंगे। हालांकि, प्रतिवादी को कानूनी प्रतिनिधि के लिए इंकार करने का अधिकार है और वह अपने को खुद बचा सकता है, और इसका मतलब यह हो सकता है कि वह आपसे प्रश्न पूछेगा। ऐसा बहुत कम होता है और आमतौर पर बहुत छोटे केसों में होता है।

ऐसे केसों में, जिनमें कामुक्ता से प्रेरित (सैक्सुअल) अपराध (या अन्य ऐसे विशेष अपराध जिसमें बच्चे शामिल हों) शामिल हैं, एक प्रतिवादी किसी पीड़ित, एक बच्चे या एक 'सुरक्षा प्रदान' (कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वास्तविक अपराध का गवाह है) किये गये गवाह को क्रॉस-एक्जामिन नही कर सकता है। इन केसों में, एक वकील को ही उसके लिए प्रश्न पूछने चाहियें।

जब आप गवाही दे चुकते हैं तो क्या होता है?

दोनों वकील जज या मैजिस्ट्रेट को बतायेंगे उनके पास आपके लिए और प्रश्न नही हैं। जज या मैजिस्ट्रेट आपका आपकी गवाही के लिए धन्यवाद करेगा और सरकारी रुप से आपको छोड़ देगा। इसका मतलब यह होता है कि अब आप अदालत को छोड़ सकते हैं। आप घर जा सकते हैं, या आप वहाँ पर रुक सकते हैं और बाकी के केस को सुन सकते हैं। हालांकि, अगर आप यूथ कोर्ट के मुकद्दमें या सुनवाई में गवाह हैं, तो संभवतयः आपको अपनी गवाही देने के बाद वहाँ पर रुकने की अनुमती नही होगी।

किसी भी मुकद्दमें या सुनवाई में अधिकतर व्यक्तियों से केवल एक बार गवाही देने के लिए पूछा जाता है। हालांकि, अगर कोई नये सबूत होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि भिन्न-भिन्न प्रश्नों को पूछना, तो आपको दुबारा वापिस बुलाया जा सकता है।

08 ट्रायल या मुकद्दमें के बाद

जब आप मुकद्दमें में गवाही दे चुकते हैं, तो आपको यह जानने में भी दिलचस्पी हो सकती है, कि क्या होता है। हो सकता है कि आपको पहले से ही आभास हो कि प्रतिवादी दोषी पाया जायेगा या निर्दोष – लेकिन हमेशा ऐसा नही होता है, अदालत ही इस बात का निर्णय लेती है।

यह कैसे पता लगाना है कि ट्रायल में क्या हुआ है

आप अदालत से सम्पर्क कर के केस के परिणाम के बारे में पता लगा सकते हैं या आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसने आपको अदालत में आने के लिए पूछा था।

ट्रायल के बाद क्या आपसे दुबारा से गवाह बनने के लिए पूछा जायेगा

आमतौर पर एक ही अपराध या घटना के लिए आपको दो बार गवाही देने की ज़रुरत नही होती है, लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में यह ज़रुरी हो सकता है।

- अगर मैजिस्ट्रेट की अदालत प्रतिवादी को दोषी पाती है और उनके वकील सुनाई गई सज़ा के विरुद्ध अपील करते हैं, तो आपसे दुबारा से सबूत देने के लिए पूछा जा सकता हैं। यह अपील क्राउन कोर्ट में जज के सामने होगी, लेकिन जूरी की बजाए दो मैजिस्ट्रेटों के साथ।
- क्राउन कोर्ट में सज़ा सुनाये गये प्रतिवादी को कोर्ट ऑफ़ अपील में अपील करने का अधिकार है। ऐसा होना आम बात नही है, हालांकि, कोर्ट ऑफ अपील गवाह के सबूत दुबारा से सुनना चाहेंगे।
- अगर क्राउन कोर्ट में जूरी उनके सुनाये गये फैसले से सहमत नही हो सकती है, तो दुबारा से ट्रायल होगा, और आपसे एक भिन्न जूरी के सामने दुबारा से सबूत पेश करने के लिए पूछा जा सकता है। यह आमतौर पर बहुत बार नही होता है।
- अगर ट्रायल के साथ कुछ कठिनाई है तो दुबारा से ट्रायल की ज़रुरत हो सकती है, और जज या मैजिस्ट्रेट को केस को बंद करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है, दुबारा से ट्रायल कब होगा, और क्या आप वहाँ होने चाहिए, इन सब के बारे में आपको बताया जायेगा।

नोटस

नोटस

Home Office

BUILDING A SAFE, JUST
AND TOLERANT SOCIETY

Hindi

इसको अक्टूबर 2003 में होम ऑफिस कम्यूनिकेशन डाईरैक्टरेट द्वारा प्रकाशित किया गया है।